न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/136/2024 रजू दिनांकः 17.09.2024 रजि0 न0 2024/245

अपीलार्थीः–

श्री विक्रमसिंह, निवासी कोठी गंगानिवास, मधुवन कॉलोनी अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 28.10.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2006 दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना आवेदन दिनांक 31.07.2024 व तत्संबंधी प्रा0पत्र दिनांक 09.09.24 के परिपेक्षय में इस कार्यालय द्वारा किए गए विनिश्चय पत्र सं0 1835 दिनांक 24.09.204 पर आक्षेप व्यक्त किया है, के संबंध में इस लोक सूचना अधिकारी कार्याल्य स्तर पर संबंधित अनुभाग–प्रशासनिक अधिकारी, कलक्ट्रेट, अलवर (प्रभारी अधिकारी, जिला लेख भण्डार, कलक्ट्रेट, अलवर) के पत्र सं0 जिलेभ/आरटीआई/ 2024/158 दिनांक 09.09.2024 के माध्यम से प्राप्त सूचना (कुल 03 पृष्ठ) से अभिलेख पर संधारित सूचना से अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है, जिसके अनुसार वांछित सूचना संबंधी दस्तावेज संबंधित पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार इससे अधिक कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि अपील आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचनानुसार अभिलेख पर संधारित सूचना से अवगत कराया जाकर विनिश्चय किया जा चुका है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/2007 दिनांक 24.10.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)